

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जून 2021—ज्येष्ठ 14, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2021

क्र. एफ. 1-08-2020-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग, इन्दौर के जिला खण्डवा की वर्तमान तहसील पुनासा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील मूंदी का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्र.	विद्यमान संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील की सीमाएं	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	तहसील-पुनासा मुख्यालय-पुनासा	वर्तमान तहसील पुनासा के रा.नि. मंडल मूंदी के पटवारी हल्का क्र. 60 से 82, रा.नि.मंडल मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 32, 34, 35 तथा रा.नि.मंडल पुनासा के पटवारी हल्का क्र. 51 से 55 तक पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे. (इस प्रकार कुल 31 पटवारी हल्के एवं 60 ग्राम अपवर्जित होंगे).	तहसील-पुनासा मुख्यालय-पुनासा	वर्तमान तहसील पुनासा के रा.नि. मंडल मंधाता के पटवारी हल्का क्र. 1 से 17, रा.नि. मंडल मोहना के पटवारी हल्का क्र. 18 से 31, 33, 36 एवं 37, रा.नि.मंडल पुनासा के पटवारी हल्का क्र. 38 से 50 एवं 56 से 59 समाविष्ट होंगे (इस प्रकार कुल 51 पटवारी हल्के तथा 110 ग्राम समाविष्ट होंगे).	पूर्व में—तहसील सतवास जिला देवास एवं तहसील हरसूद. पश्चिम में—जिला खरगौन. उत्तर में—जिला देवास एवं खरगौन. दक्षिण में—तहसील खण्डवा एवं प्रस्तावित नवीन तहसील मूंदी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	—	—	तहसील-मूंदी मुख्यालय-मूंदी (नवीन तहसील).	वर्तमान तहसील पुनासा के रा.नि. मंडल मूंदी के पटवारी हल्का क्र. 60 से 82, रा.नि.मंडल मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 32, 34, 35 तथा रा. नि. मंडल पुनासा के पटवारी हल्का क्र. 51 से 55 तक पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे (इस प्रकार कुल 31 एवं 60 ग्राम समाविष्ट होंगे).	पूर्व में—तहसील हरसूद. पश्चिम में—शेष तहसील पुनासा. उत्तर में—शेष तहसील पुनासा. दक्षिण में—तहसील खण्डवा.	

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 3 जून 2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 238-2021-CLR-भू-सर्वेक्षण-2021.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं:—

अनुसूची

सरल क्रमांक (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम/नगर (4)	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक (5)	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र (6)
1	दमोह	जबेरा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	दमोह	तेंदूखेड़ा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	दमोह	दमयंतीनगर (दमोह)	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	दमोह	दमोह	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	दमोह	पटेरा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	दमोह	पथरिया	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	दमोह	बटियागढ़	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	दमोह	हटा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 29 भू-अर्जन-प्र. क्र -अ-82-2020-21

जबलपुर, दिनांक 10 मई 2021

प्र0क0 01/अ 82/2020-21 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे सलंगन अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबन्ध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (म/स) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक (मेडीकल रोड) तक फलाई ओवर लंबाई 5.905 कि०मी० निर्माण हेतु भू-अर्जन हेतु ग्राम आमनपुर तहसील आधारताल जिला जबलपुर के अंतर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है।

अनुसूची

भूमि क वर्णन			क्षेत्रफल अर्जित रकबा (वर्ग मी०)		धारा(11) के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	ख०न०	रकबा		
1	2	3	4		5	6
जबलपुर	आधारताल	आमनपुर	भाग - 1	2179.743	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (म/स) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर	जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक (मेडीकल रोड) तक फलाई ओवर लंबाई 5.905 कि०मी० निर्माण हेतु
			69, 52, 27 मेसे	व०मी०		
			भाग -2			
			81,83,86,87 मे से	68.521 व०मी०		
			कुल रकबा	2248.264 व०मी०		

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आधारताल के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (म/स) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 3518-रीडर-भू-अर्जन-2021-रा.प्रा.क्र. 0003-अ-82-21-22

बड़वानी, दिनांक 21 मई 2021

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर एवं माईनर-8 नहर के निर्माण एवं संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम-टेमला खुर्द तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 2.095 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 5.17 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जाँच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : - अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर एवं माईनर-8 नहर के निर्माण एवं संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम-निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर एवं माईनर-8 नहर के निर्माण एवं संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम-टेमला खुर्द तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	3/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.180	हागरू बांगा पिता पुन्या जाति भारूड पता नि.सनगाव
	4/2/3			0.020	
02	4/1/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	सन्देशकुमार पिता शंकर जाति अहीर पता नि.सनगांव
03	4/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.100	नानूराम पिता गोकुल जाति अहीर पता नि.सनगांव
	4/4			0.100	
	8/2			0.010	
04	8/3/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.075	सुफीयाबाई पति हुसेन अली जाति मुसलमान पता नि.राजपुर
05	8/3/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.050	हुसैनअली पिता मेहरवानअली जाति मुसलमान पता नि.राजपुर
06	8/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.300	गिरधारी पिता गजानन्द जाति काछी पता निवासी राजपुर
	9/2			0.105	
07	9/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	अनिता पति मुकेश जाति महाजन पता नि.राजपुर
	11/1			0.385	
08	10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	भूरीया पिता लच्छा पता नि. गांम राजपुर
09	19/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.200	राधाबाई पति केशव जाति काछी पता नि.राजपुर
10	22/3/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.090	मौहन पिता घीसीलाल जाति काछी पता नि.राजपुर
11	22/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	संतोष पिता घीसीलाल जाति काछी पता नि.ग्राम राजपुर
12	22/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	जगदीश पिता घीसीलाल जाति काछी पता नि.ग्राम राजपुर

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
13	22/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	बलवन्त पिता घीसीलाल जाति काछी पता नि.ग्राम राजपुर
योग				2.095	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 3519-रीडर-भू-अर्जन-2021-रा.प्रा.क्र. 0002-अ-82-21-22

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर, माईनर-2 नहर एवं सब माईनर-1 नहर के निर्माण एवं संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम-नरावला तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 3.745 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 9.25 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जाँच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है : - अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर, माईनर-2 नहर एवं सब माईनर-1 नहर के निर्माण एवं संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम-निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर, माईनर-2 नहर एवं सब माईनर-1 नहर के निर्माण एवं संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम-नरावला तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	136 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	सुखलाल पिता गोकुल नबूबाई बेवा गोकुल जाति भीलाला पता नि. ग्राम
	137 / 1			0.025	
02	142	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.380	रामकन्या पति रमेश जाति काछी पता नि. ग्राम
03	143 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	गणस्या पिता वल्लू जाति भीलाला पता नि. ग्राम
	149 / 2			0.050	
04	144 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.155	मयाराम पिता तुमडिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम
05	144 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	दयाराम रमेश निलेश पिता सीताराम राधाबाई बेवा सीताराम जाति भीलाला पता नि. ग्राम
06	144 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	दीपक पिता भीमसिंग रूखडी बेवा भीमसिंग जाति भीलाला पता नि. ग्राम
07	146 / 1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	राजाराम पिता मांग्या अनारबाई बेवा मांग्या जाति भीलाला पता नि. ग्राम
08	146 / 2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.060	बद्री पिता नहारिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम नरावला
09	146 / 3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.040	गणपत पिता नहारिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम
	147 / 12			0.065	
10	147 / 6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.085	संतोष प्रभू दिनेश पिता नन्नू चम्पा बेवा नन्नू जाति भीलाला पता नि. ग्राम
11	147 / 8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	गेन्दिया पिता रन्छोड जाति भीलाला पता नि. ग्राम
12	147 / 9	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	गंगाराम पिता रन्छोड जाति भीलाला पता नि. ग्राम
13	147 / 10	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.065	अंतरसिंह पिता रन्छोड जाति भीलाला पता नि. ग्राम
14	147 / 11	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.295	उंकार पिता रन्छोड जाति भीलाला पता नि. ग्राम
	148 / 13			0.005	
15	147 / 16	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.095	भवरबाई पति सडिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम

स.क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
	2	3	4		6
16	148/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.130	आशाराम पिता तुमडीया जाति भीलाला पता नि. ग्राम
17	148/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.310	राजु पिता किरता जाति बारेला पता नि. ग्राम
18	148/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.070	सुखलाल पिता गोकुल जाति मिलाला पता नि. ग्राम
19	153/2/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	शंकरलाल पिता ऊंकारलाल जाति तेली पता नि. ग्राम राजपुर
20	153/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.016	पवन पिता नानुराम जाति काछी पता नि. ग्राम राजपुर
	154/3			0.234	
21	153/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.146	देवकोरबाई पिता नाना गजरीबाई बेवा नाना जाति काछी पता नि. ग्राम राजपुर
	155/1			0.104	
22	155/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.275	राजेन्द्र पिता सुपडीलाल जाति महाजन पता नि. ग्राम राजपुर
23	157/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.320	मकुन्द पिता गोपाल जाति भीलाला पता नि.ग्राम
24	157/4	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.025	फुदलीबाई पति सुमान जाति भीलाला पता नि.ग्राम
25	160/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.110	वेस्ता,मंसाराम पिता सेवल्या, कैलाश शोभाराम पिता नाथल्या धनी बेवा नाथल्या राजाराम पातल्या पिता रीछू गजरी बेवा रीछू प्यारसिंह मगन पिता सुमान फुदलीबाई बेवा सुमान जाति भीलाला पता नि.ग्राम
26	160/7	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	कमलीबाई पति बेरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम
				3.745	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 3520-रीडर-भू-अर्जन-2021-रा.प्रा.क्र. 0001-अ-82-21-22

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर एवं माईनर-1 नहर के निर्माण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम-लिम्बई तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 3.495 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् 8.63 एकड़ (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जाँच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर एवं माईनर-1 नहर के निर्माण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील-निरंक के ग्राम-निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर एवं माईनर-1 नहर के निर्माण एवं उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम-लिम्बई तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
01	184/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.405	कालीबाई प. रूखा पर्वत पि. रूखा जाति भीलाल सा.देह
	184/4			0.240	
02	184/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	लोण्या पिता हगरू जाति भीलाल पता नि.ग्राम
03	187/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	बृजमोहन पिता तुलसीराम लक्ष्मी बेवा तुलसीराम नन्दकिशोर बदीप्रशाद नानूराम राकेश दुर्गा सकू पि. मांगीलाल मुन्नी पिता मांगीलाल अ.पा. क. कौशल्याबाई व कौशल्या बेवा मांगीलाल सावीत्री बेवा जगदीश कोमल कुसुम राकेश अनुराधा विनोद पिता जगदीश जगन्नाथ लाडकी शुसीला राजू अलका पारू पिता रामा जाति तेली पता नि.ग्राम
04	190/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	उमेदसिंह पिता सुखलाल जाति भीलाल पता नि. ग्राम
	228/14			0.170	
05	200/2	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.160	झवरसिंह पि. विसन जाति भीलाल पता सा. देह
06	200/3	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.125	शिवराम पिता झबरसिंह जाति भीलाल पता नि.ग्राम
07	201/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.035	मांगीलाल बाबूलाल पिता मडीया गोमती बेवा मडीया जाति भीलाल पता नि. ग्राम
08	200/6/ख	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.020	लीलाबाई पति गुलाबसिंह जाति भीलाल पता नि. ग्राम
09	204/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.030	मगल्या पिता काना जाति भीलाल पता नि. ग्राम
10	206/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.330	मांगीबाई शांताबाई फुताबाई पिता हारीया लाडकीबाई बेवा हारीया जाति भीलाल पता नि. ग्राम
11	216	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.055	मोहन गेंदिया मनु राम्या पि. देवीसिंग मयाराम पि. चैन्या जाति भीलाल पता सा. देह

स.कं.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
12	222	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	गेंदीया पिता देवीसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम
13	223	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.180	झबरसिंग नयनसिंग चैनसिंग मोतीलाल पिता मांगीलाल सुगरबाई बेवा मांगीलाल जाति भीलाला पता नि. ग्राम
14	225/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.140	बसंत पिता भोलिया. भोलिया दयाराम पिता धनीया जाति बलाई पता नि. ग्राम
15	226/2/1	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.430	नवसीबाई बेवा घीस्या सिताराम पिता राल्या झेतरिया पिता मगल्या गोपाल राधेश्याम पिता गुलाबसिंग देवीसिंग सुरेश गंगा पिता राधेश्याम नीलाबाई बेवा गुलाबसिंग जाति भीलाला पता नि. ग्राम
16	226/6	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.205	नवसीबाई बेवा घिस्या जाति भीलाला पता नि. ग्राम
17	227	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.010	राजु कालू पिता झेतरिया गोदावरी गंगा पिता बंशीबाई बेवा झेतरिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम
	228/1			0.100	
18	228/5	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.080	रूखडीया पिता विश्राम जाति भीलाला ता नि.ग्राम
19	228/8	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.275	घिस्या पिता शंकर जाति भीलाला नि. ग्राम
20	228/13	भूमिस्वामी	निजी भूमि	0.180	पन्नालाल पिता सुखलाल जाति भीलाला पता नि. ग्राम
योग				3.495	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
तहसील-भीकनगांव, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश

क्रमांक . . . भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र. 0018-अ-82-2020-21

भीकनगांव, दिनांक 5 मई 2021

प्ररूप- 'घ'
{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2853/री-1/2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव, जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम-बिरुल प.ह.नं.-39, तह. भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-03 में जल परिवहन हेतु ग्राम- नूरियाखेड़ी, प.ह.नं.- 94, तह. भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- नूरियाखेड़ी, प.ह.नं.- 94	169/3/1	0.023
			169/3/2/1	0.011
			169/3/2/2	0.017
कुल योग			3	0.051

लोचन लाल अहिरवार, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 फरवरी 2021

पत्र क्र. 06-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत प्रकाशन कराया गया था. कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 30 अगस्त 2020 से 30 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	त्योंथर	गोंद खुर्द	8	0.050	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना की मुख्य/माइनर नहर निर्माण हेतु.
			148	0.890		
			149/2	0.650		
			149/3	0.330		
			151	0.324		
			154	1.170		
			155	0.540		
			200/3	0.050		
			203	0.400		
			कुल योग . .	4.404		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 08-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत प्रकाशन कराया गया था. कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 10 जनवरी 2021 से 10 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	त्योंथर	खटखरी	32	0.020 (शास.)	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना की मुख्य/माइनर नहर निर्माण हेतु.
		कला	36	0.400		
			38	0.048		
			41	0.520		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			44	0.020		
			45	0.016		
			46	0.030		
			47	0.280		
			48	0.264		
			63	0.072		
			64	0.048		
			65	0.003		
			66	0.024		
			79	0.680 (शास.)		
			कुल योग	2.425		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 10-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत प्रकाशन कराया गया था. कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 30 अगस्त 2020 से 30 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	त्योंथर	गोंद कला	62	0.580	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर	बाणसागर परियोजना के
			63	0.800	नहर संभाग, सिरमौर,	अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना
			70	0.453	जिला रीवा (म. प्र.).	की मुख्य/माइनर नहर निर्माण
			71	0.132		हेतु.
			73	0.096		
			75	0.088		
			76	0.062		
			77	0.088		
			78	0.100		
			79	0.015		
			119	0.038		
			120	0.024		
			121	0.132		
			122	0.006		
			124	0.091		
			125	0.058		
			131	0.048		
			132	0.157		
			133	0.300		
			136	0.288		
			158	0.120		
			169	0.336		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			170	0.245		
			171	0.240		
			174	0.060 (शास.)		
			कुल योग . .	4.557		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 12-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत प्रकाशन कराया गया था. कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 27 सितम्बर 2020 से 27 सितम्बर 2021 तक के लिए बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल	खसरा नम्बर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रीवा	त्योंथर	फुलदेउर	22	0.112	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर बहाव योजना की मुख्य/माइनर नहर निर्माण हेतु.
			23	0.020		
			29	0.009		
			65/2	0.040		
			71	0.232		
			72	0.638		
			73	0.112 शास.		
			74	0.072		
			78	0.515		
			80	0.624		
			82	0.104		
			84	0.010		
			85	0.081		
			86	0.158		
			87	0.330		
			88	0.418		
			89	0.144		
			94	0.134		
			95	0.050		
			100	1.680		
112	0.042					
114	0.006					
115	0.798					
217/3	0.140					
			कुल योग . .	6.469		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 14-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	बड़ाछ	0.155	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 16-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	घूसरूम	0.300	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 18-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	मझियारी	0.350	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 20-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	रिमारी	0.195	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	अंतरी	0.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 24-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	बौना पैपखार	0.150	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 26-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	टंगहा	0.200	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 28-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	खटखरी खुर्द कोठार	2.800	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 30-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	छदहना	2.300	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरुण भटनागर, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 24 मार्च 2021

क्र. 146-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:—

जिला—सीधी

तहसील—कुसमी

ग्राम—अमराडांडी, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर अमरोला

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 9.048 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	105/2	0.730	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 सिंगरौली.	गोड़ वृहद सिंचाई परियोजना के बाँध एवं डूब क्षेत्र हेतु.
2	105/1	0.250		
3	106/2	0.400		

4	106/1	0.140	—,—	—,—
5	123	0.070	—,—	—,—
6	126	0.130	—,—	—,—
7	127	0.120	—,—	—,—
8	128/2	0.120	—,—	—,—
9	128/1	0.220	—,—	—,—
10	129	0.420	—,—	—,—
11	130	0.350	—,—	—,—
12	131	0.126	—,—	—,—
13	132	0.150	—,—	—,—
14	133	0.070	—,—	—,—
15	134	0.170	—,—	—,—
16	150	0.386	—,—	—,—
17	151/2	0.490	—,—	—,—
18	151/1	0.150	—,—	—,—
19	152/2	0.660	—,—	—,—
20	152/1	2.340	—,—	—,—
21	154/175	0.070	—,—	—,—
22	159	1.322	—,—	—,—
23	160	0.164	—,—	—,—
कुल योग . .		9.048		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 148-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—कुसमी
 (ग) ग्राम—क्योंटी, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर अमरोला
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 22.754 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5	0.080	कार्यपालन रंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 सिंगरौली.	गोड़ वृहद सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.
2	6	0.150		
3	7	0.130	—,—	—,—
4	8	0.090	—,—	—,—
5	9	0.120	—,—	—,—
6	17	2.140	—,—	—,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	22	1.100	—,—	—,—
8	23	0.600	—,—	—,—
9	24	0.530	—,—	—,—
10	29	3.650	—,—	—,—
11	39	0.150	—,—	—,—
12	41	0.343	—,—	—,—
13	42	0.210	—,—	—,—
14	43	0.790	—,—	—,—
15	44	0.093	—,—	—,—
16	45	0.140	—,—	—,—
17	46	0.054	—,—	—,—
18	47	0.010	—,—	—,—
19	76	0.840	—,—	—,—
20	81	1.540	—,—	—,—
21	82	0.070	—,—	—,—
22	87	0.174	—,—	—,—
23	89	0.640	—,—	—,—
24	90	0.070	—,—	—,—
25	91	0.620	—,—	—,—
26	93	0.070	—,—	—,—
27	104	0.290	—,—	—,—
28	105	0.320	—,—	—,—
29	106	0.007	—,—	—,—
30	108	0.056	—,—	—,—
31	109	0.027	—,—	—,—
32	110	0.055	—,—	—,—
33	113/123	5.240	—,—	—,—
34	45/119	0.250	—,—	—,—
35	80/1	0.470	—,—	—,—
36	80/2	0.180	—,—	—,—
37	92/1	0.460	—,—	—,—
38	92/2	0.190	—,—	—,—
39	79	0.180	—,—	—,—
40	88	0.190	—,—	—,—
41	25	0.320	—,—	—,—
42	45/115	0.070	—,—	—,—
43	46/114	0.025	—,—	—,—
44	46/118	0.020	—,—	—,—
		कुल योग . . 22.754		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैहर, दिनांक 8 अप्रैल 2021

क्र. 17633-भू-अर्जन-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना

है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 की द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बैहर	बिठली प.ह.नं. 29/50	निजी भूमि 0.486 एवं 0.010 असिंचित है.	सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट	ग्राम बिठली पुलिस चौकी बिठली थाना रूपझर का भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि.
कुल योग निजी भूमि . .			0.496		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर जिला बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यालय, कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) बालाघाट जिला बालाघाट, म. प्र. के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुरु प्रसाद, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2021

प्र. क्र. 0001-अ-82-2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में छोटा उदयपुर-धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम बलदमूंग, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची (01)

स. क्र.	ग्राम बलदमूंग विवरण	तहसील जोबट		
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	0.149	0.000	0.149

अनुसूची (02)

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम	भूमि का रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)			
		खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	जितेंद्र पुत्र मुकाम 1/3 सुनिल पुत्र मुकाम 1/3 अजबाई बेवा मुकाम 1/3	897	0.430	0.000	0.430	0.100	0.000	0.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
2	रतनसिंह पुत्र नानलिया		896	0.240	0.000	0.240	0.025	0.000	0.025
3	डूगरिया पुत्र नानलिया		895	0.470	0.000	0.470	0.016	0.000	0.016
4	लालसिंह पुत्र नजरू 1/3 केशसिंह पुत्र नजरू 1/3 छतरसिंह पुत्र नजरू 1/3		885	0.500	0.000	0.500	0.008	0.000	0.008
योग . . .			1.640	0.000	1.640	0.149	0.000	0.149	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरभि गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 7 मई 2021

क्र. 13-20-21-मं-82-भू-अर्जन-सुमावली-लो.नि.वि.-2020-21-5053.—(भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी (प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन टेकरी (नूराबाद) से सुमावली इमलिया निर्माणाधीन मार्ग के सुमावली गांव में बासपास हेतु चैनेज 12200 से 12600 तक निर्माण के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम सुमावली, तहसील जौरा, उपखण्ड जौरा, जिला मुरैना में कुल रकबा 0.357 हेक्टेयर एक रिपोर्ट की गयी थी, कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.

अतः, जिला मुरैना, तहसील जौरा, के ग्राम सुमावली, प.ह.नं. 116, रा.नि.व. 07 में उक्त परियोजना के लिये 0.357 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया गया है:—

क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	935 मिन-2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.014	मु. रामवती बेवा छिद्दीसिंह, सिमिरनी, लक्ष्मी पुत्री छिद्दीसिंह रवि सुरेशपाल सिंह, पुत्र छिद्दीसिंह, संभाग हिं. 1/3 मातादीन राजेन्द्र सिंह पुत्रगण महाराज सिंह संभाग हिं. 2/3 जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी.
2	935 मिन-3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.069	मातादीन पुत्र महाराज सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी भू राजस्व 4.71.
3	926	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	शिशुपाल सिंह पिता बाबूसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
4	928	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	रामस्वरूप राकेश पिता हजारी शान्ति, सुनीता पुत्री हजारीलाल 1/6 भरोषीलाल पिता गोकलिया बिलासे रामश्री भन्ती पुत्रियां गोकुलिया हिं. 5/6 जाति भोई पता निवासी ग्राम सा. भा. भाग भूमि स्वामी.
5	927	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	शिशुपाल सिंह पिता बाबूसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
6	982	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	रविन्द्र सिंह, सुरेश पाल पिता छिद्दाराम जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.72.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	987	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	गजराज सिंह पुत्र हुकमसिंह जाति जादौन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
8	988	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.074	बाबूसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
9	974 मिन-1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	दाताराम पुत्र हरदेव जाति ब्रा. ग्राम भूमि स्वामी.

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (3013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर जिला मुरैना में और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है, सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

विशेष—धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि तत्काल अपेक्षा है, इसलिये भू-अर्जन की आवश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रकाश्या में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त दिये हैं, अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपलब्ध लागू नहीं होंगे।

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

बरेली, दिनांक 11 मई 2021

क्र. 1701-भू-अर्जन-2021.—प्र. क्र. 0013-अ-82-2020-21-भू-अर्जन-बरेली.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 12-2-2014-सात-2ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

ग्राम का नाम—पड़रई कलां

तहसील—उदयपुरा

क्र.	ग्राम का नाम	भूमिस्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	पड़रई कलां	गुड्डी वाई वि. छतरसिंह, जाति धानक निवासी ग्राम भू-स्वामी	424	0.510	0.175	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण	बीकोर से पड़रई मार्ग पर खांड नदी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						विभाग सेतु निर्माण संभाग, भोपाल.	पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण.
2	पड़रई कलां	अजुददी बाई पत्नि मुंशीलाल जमना प्रसाद, मुन्नालाल, शांति वाई पुत्र पुत्री मुंशीलाल, जाति मेहरा निवासी ग्राम भू-स्वामी.	422	0.700	0.020		
3	पड़रई कलां	गोविन्द प्रसाद, रामनाथ, बद्रीप्रसाद, कुसुम वाई, गीता वाई आ. सुन्दरलाल, जाति साहू निवासी ग्राम भू स्वामी, चन्दा वाई बेवा छोटेलाल व गेन्दालाल, प्रकाश वीरेन्द्र प्रेमवती, हरिवाई, द्रोपती आ. छोटेलाल, जाति साहू निवासी ग्राम भू स्वामी, फूलावाई बेवा रम्मा, इन्दरसिंह, रूपसिंह, खेतसिंह, पंचम, प्रहलाद, हीरालाल, तिज्जो वाई शीला, सरिता आ. रम्मा व मीरावाई वेवा मानक, गुड्डू आ. मानक जाति लोधी.	423	1.133	0.210		

प्रमोद सिंह गुर्जर, अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 15 अप्रैल 2021

क्र. 73-भू-अर्जन-21.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 सनावद द्वारा उनके पत्र क्रमांक 809/कार्य/भी.-बिं.मा.उ.सिं.पं./2021, दिनांक 19 मार्च, 2021 से "भीकनगांव-बिंजलवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु" अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) की धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अनुग्रहा पी, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करती हूँ:—

क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	प्रस्तावित अर्जनीय भूमि का रकबा (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भीकनगांव	खारवी	10	0.810	"भीकनगांव-बिंजलवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु."

नोट :-

- (1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 सनावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुग्रहा पी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 21 मई 2021

(1)	(2)
40/14	0.075
-45/1/1/क	0.075
45/1/1/ख	0.110
97/10	0.010
	योग : <u>2.175</u>

क्र. 3521-रीडर-1-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र. 0009-A-82-20-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (1) जिला—बड़वानी
- (2) तहसील—राजपुर
- (3) ग्राम—अतरसंभा
- (4) क्षेत्रफल —2.175 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/10	0.290
1/12	0.285
19	0.310
21/1	0.060
21/7	0.160
21/3	0.035
21/4	0.040
21/8	0.210
21/10	0.045
22/3	0.015
31/26	0.035
31/4	0.040
45/2	0.040
39/3	0.120
40/1	0.035
40/10	0.065
40/11	0.040
40/12	0.035
40/13	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन:—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 3522-रीडर-1-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र. 0007-A-82-20-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (1) जिला—बड़वानी
- (2) तहसील—राजपुर
- (3) ग्राम—ऊंची
- (4) क्षेत्रफल —1.600 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
(1)	(2)
30/7	0.100
30/8	0.330
30/9	0.320

(1)	(2)	(1)	(2)
30/10	0.210	241/7	0.030
33/4	0.110	241/8	0.030
95/1	0.320	243/1	0.010
95/2	0.210	243/9	0.230
	योग : 1.600	243/2/2	0.050
(2) सार्वजनिक प्रयोजन:—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		243/3	0.110
		243/5	0.335
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.		255/1	0.320
		255/3	0.100
		255/4	0.180
(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.		257/2/1	0.080
		257/5	0.110
		257/1	0.030
		257/2/2	0.320
(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.		270/1/क	0.090
		270/1/1/क	0.095
		272/1	0.060
		272/2/ख	0.010
		272/2/क	0.095
		272/3	0.110
		277/3/3	0.030
		283/2	0.105
		283/7	0.060
		283/4	0.065
		283/5	0.010
		318/6	0.010
		योग :	3.075

क्र. 3537-रीडर-1-भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र. 0008-A-82-20-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (1) जिला—बड़वानी
- (2) तहसील—राजपुर
- (3) ग्राम—राजपुर
- (4) क्षेत्रफल —3.075 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
(1)	(2)
237/2	0.150
239	0.100
241/3	0.110
241/6	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन:—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराजसिंह वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.